कोतवाली धारचूला पुलिस ने 1.63 किग्रा0 अवैध यारसा गंबू (कीड़ा जड़ी) व कीड़ा जड़ी की खरीद फरोख्त से सम्बंधित 3,93,000/- रु0 की नकद धनराशि के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

बरामद कीड़ा जड़ी की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 9,50,000/- रु0 आंकी गयी है।

अभियुक्त के विरुद्ध वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर, की जा रही अग्रिम वैधानिक कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़, श्रीमती रेखा यादव द्वारा जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवैध वन संपदा व अन्य अवैध मादक पदार्थों की तस्करी/ खरीद फरोख्त करने वालों के विरुद्ध सघन चैकिंग अभियान चलाते हुए कड़ी वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। जिस क्रम में दिनांक- 28/07/2024 को सी0ओ0 पिथौरागढ़, श्री परवेज अली के पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धारचूला, श्री विजेन्द्र शाह के नेतृत्व में कोतवाली धारचूला पुलिस टीम द्वारा गलाती चेक पोस्ट पर चैकिंग के दौरान अभियुक्त त्रिलोक सिंह पुत्र भीम सिंह, निवासी- गलाती तोक नारीधार पोस्ट रमतोली थाना कोतवाली धारचूला जिला पिथौरागढ़ उम्र 35 वर्ष को अवैध रूप से यारसा गंबू (कीड़ा जड़ी) का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल- 01 किलो 63 ग्राम यारसा गंबू (कीड़ा जड़ी) व कीड़ा जड़ी की खरीद फरोख्त से संबंधित कुल- 3,93,000 रुपए भी बरामद किए गए, जिसकी कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 9,50,000/- रु0 आंकी गयी है। अभियुक्त त्रिलोक सिंह उपरोक्त के विरुद्ध कोतवाली धारचूला में धारा- 26/41/ 42 वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

गिरफ्तारी पुलिस टीम: कोतवाली धारचूला- 1- उप निरीक्षक श्री प्रदीप यादव, 2- कांस्टेबल पवन कुमार, 3- कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, 4- कांस्टेबल चालक महेंद्र कुमार ।
वन विभाग टीम:- 1- उप वनक्षेत्राधिकारी श्री नरेंद्र राम, 2- वनरक्षक कमल सिंह बिष्ट, 3- वनरक्षक नंदा बल्लभ जोशी ।